


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	श्री सुनील कुमार प्रधानाचार्य राउमावि मैनास, नवलगढ, झुंझुनू।	अक्टूबर 2021 व नवम्बर 2021	राउमावि खार वाली, खाजूवाला, बीकानेर
2	स्व० श्री सेडूराम मीणा तत्कालीन प्रधानाचार्य राउमावि भोजेवाला, सूरतगढ श्री गंगानगर	दिनांक 18.08.2015 से 16.12.2015	राउमावि भोजेवाला, सूरतगढ, श्री गंगानगर
3	दीपक कुमार गौड प्रधानाचार्य राउमावि नावां, नागौर।	दिनांक 29.12.2020 से 31.12.2020	राउमावि पलाडा कुचामन सिटी, नागौर
4	शिशुपाल सिंह प्रधानाचार्य राउमावि रसीदपुरा खुडी, लक्ष्मणगढ सीकर (नवकमोन्त)	सितम्बर 2021 से दिसम्बर 2021	राउमावि बनियाला, तारानगर, चूरु
5	विधाधर सिंह नेहरा प्रधानाचार्य राउमावि कारंगा बडा, सीकर	अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021	श्रीमती केशरदेवी सेठी राबाउमावि लाडनूं, नागौर
6	रणजीत कुमार उपजिला शिक्षा अधिकारी, (HM) कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु।	जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021	कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु।


वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577 /2020-21/226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।


(अजय कुमार वाजपेयी)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/205दिनांक:-१).12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)